



कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक- 09.10.2026

 थाना चन्दौली पुलिस टीम द्वारा 25,000 लीटर अवैध डीजल के साथ 01 अभियुक्त (चालक) गिरफ्तार, 06 नामजद अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत।

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के कुशल निर्देशन व मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक चन्दौली मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर एनएच-2 हाईवे/नवीन मंडी परिसर के पास से कूट रचित बिल्टी, इनवॉइस व ई-वे बिल के जरिए अवैध रूप से ले जाए जा रहे 25,000 लीटर हाई स्पीड डीजल से भरे एक टैंकर (सं0 MH 43 AF 3359) को कब्जे में लिया गया तथा मौके से चालक को गिरफ्तार किया गया। मामले की विस्तृत जांच में पेट्रोल पंप ('मेसर्स आइडियल सर्विस सेंटर') के स्टॉक/बिक्री रजिस्टर में 13,986 लीटर डीजल का अंतर व गंभीर हेराफेरी पाई गई। जिलाधिकारी चन्दौली के अनुमति/आदेश के अनुपालन में थाना चन्दौली पर मु.अ.सं.-493/2026 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम (1955) के तहत 07 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

टैंकर चालक का विवरण-

अवधेश कुमार - पुत्र राम सजीवन, निवासी: ग्राम देवगलपुर, थाना मऊआइमा, जिला प्रयागराज।

जांच के क्रम प्रकाश में आये अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए थाना स्थानीय पुलिस द्वारा निरन्तर प्रयास किया जा रहा है शीघ्र ही गिरफ्तारी की जायेगी।

गिरफ्तारी व बरामदगी का विवरण-

स्थान: नवीन मंडी स्थल / जी.टी. रोड, थाना चन्दौली

दिनांक व समय: 07.10.2026

बरामदगी-

25,000 लीटर हाई स्पीड डीजल (टैंकर रजिस्ट्रेशन सं० MH 43 AF 3359)

कार्रवाई करने वाली संयुक्त टीम-

प्रभारी निरीक्षक, थाना चन्दौली, जनपद चन्दौली

उ.नि. मार्कण्डेय सिंह (चौकी प्रभारी हाईवे मंडी, थाना चन्दौली)

हे०का० सागर यादव (थाना चन्दौली)

का० अभिषेक तिवारी (थाना चन्दौली)

का० पवन कुमार (सीसीटीएनएस, थाना चन्दौली)